रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2014/ ज्येष्ठ 16, 1936

No. 299] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2014/JYAISTHA 16, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2014

सा.का.नि. 382(अ). - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के समुद्री संगठन में नाविक, ग्रीजर और अकुशल औद्योगिक कर्मकार समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित बनाते हैं; अर्थातः–

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग समुद्री संगठन में नाविक ग्रीजर और अकुशल औद्योगिक कर्मकार समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के समुद्री संगठन में नाविक, ग्रीजर और अकुशल औद्योगिक कर्मकार समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 में, –

(क) 1 के उपनियम (i) में, " सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग " शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड " शब्द रखें जाएंगें;

(ख) अनुसूची में;

(i) नाविक के पद से संबंधित कम संख्यांक 1 के सामने, –

(अ) स्तंभ 7 में, टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएगें, अर्थात :–

टिप्पण–1 "आयु–सीमा अवधरित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

टिप्पण–2:– रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। "

(आ) स्तंभ 13 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः–

"पुष्टि के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचनाः–

(i) अपर आयुक्त या उपायुक्त (वैयक्तिक और सतर्कता) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क– अध्यक्ष

(ii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (प्रशासन या स्थापन) –सदस्य

(iii) संभार तंत्र (लाजिस्टिक्स) निदेशालय से सहायक निदेशक (समुद्री) –सदस्य" ;

2326 GI/2014

(ii) ग्रीजर के पद से संबंधित कम संख्यांक 2 के सामने,

(अ) स्तंभ 7 में, टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थातः–

टिप्पण–1 "आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

टिप्पण–2:– रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।"

(आ) स्तंभ 13 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः–

"पुष्टि के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :–

(i) अपर आयुक्त या उपायुक्त (वैयक्तिक और सतर्कता) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	–अध्यक्ष
(ii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (प्रशासन या स्थापन)	–सदस्य
(iii) संभार तंत्र (लाजिस्टिक्स) निदेशालय से सहायक निदेशक (समुद्री)	–सदस्य

टिप्पणः–मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खंड–3 उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. स. 309(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

[फा. सं. ए-12018/13/2010- प्रशा. III बी]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2014

G.S.R. 382(E). – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Seaman, Greaser and Unskilled Industrial Workers in the Marine Organisation of the Customs and Central Excise Department Group 'C' posts Recruitment Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Seaman, Greaser and Unskilled Industrial Workers in the Marine Organisation of the Customs and Central Excise Department Group 'C' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Seaman, Greaser and Unskilled Industrial Workers in the Marine Organisation of the Customs and Central Excise Department Group 'C' posts Recruitment Rules, 2011,

(a) in sub-rule (i) of the 1, for the words "Customs and Central Excise Department", the words "Central Board of Excise and Customs" shall be substituted;

(b) in the Schedule ,-

(i) against serial number 1, relating to the post of Seaman,-

(A) in column 7, for the Note, the following Notes shall be substituted, namely:-

Note 1.- "The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual, and Spiti district and Pungi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2.- In case of recruitment through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.";

(B) in column 13, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Composition of Departmental Promotion Committee for Confirmation:-

(i) Additional Commissioner or Deputy Commissioner (Personal and Vigilance) Customs and Central Excise – Chairman;

(ii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs and Central Excise (Administration or Establishment)- Member;

(iii) Assistant Director (Marine) from Directorate of Logistics- Member.";

(ii) against serial number 2 relating to the post of Greaser,-

(A) in column 7, for the Note the following Notes shall be substituted, namely:-

Note 1.- "The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual, and Spiti district and Pungi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2.- In case of recruitment through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.";

(B) in column 13, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Composition of Departmental Promotion Committee for Confirmation:-

(i) Additional Commissioner or Deputy Commissioner (Personal and Vigilance) Customs and Central Excise Department- Chairman;

(ii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs and Central Excise (Administration or Establishment)- Member;

(iii) Assistant Director (Marine) from Directorate of Logistics- Member."

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 309 (E), dated the 7th April, 2011.

[F.No. A-12018/13/2010-Ad.III B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं०.डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2011/चैत्र 17, 1933

No. 199] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2011/CHAITRA 17, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 309(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, समुद्री संगठन भर्ती नियम (समूह 'ग' और 'घ' पद) 1994 को, जहां तक उनका संबंध नाविक, ग्रीजर और अकुशल औद्योगिक कर्मकार के पदों से है, अधिक्रांत करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के समुद्री संगठन में नाविक, ग्रीजर और अकुशल औद्योगिक कर्मकार पदों के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के समुद्री संगठन में नाविक, ग्रीजर और अकुशल कर्मकार समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हता आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमाएं, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. नाविक	284*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच आयु केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(अ) आवश्यक : 1. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य :— 2. समुद्रगामी यांत्रिक जलयान पर तीन वर्ष का अनुभव जिसमें दो वर्ष का अनुभव हेल्म्समैन और नाविक कला कार्य में हो । **(ब) वांछनीय :** समुद्री वाणिज्यिक विभाग द्वारा जारी किया गया मत्स्य जलयान मेट का सक्षमता प्रमाण-पत्र ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :— (i) अपर आयुक्त/उप-आयुक्त (कार्मिक और सतर्कता) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग —अध्यक्ष (ii) उप/सहायक आयुक्त, सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (प्रशासन/स्थापना) —सदस्य (iii) संभार तंत्र (लाजिस्टिकस) निदेशालय से सहायक निदेशक —सदस्य (समुद्री) टिप्पण :—जहां उपरोक्त सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहाँ विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक समूह 'क' अधिकारी, भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. ग्रीजर	160*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए ।

(8)	(9)	(10)
(अ) आवश्यक : 1. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य । 2. समुद्रगामी यांत्रिक जलयान की मुख्य और सहायक मशीनरी के रखरखाव में दो वर्ष का अनुभव । (ब) वांछनीय समुद्री वाणिज्यिक विभाग द्वारा जारी किया गया मत्स्य जलयान के इंजन ड्राइवर का सक्षमता प्रमाणपत्र ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(13)	(14)
पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति की संरचना :— (i) अपर आयुक्त/उप-आयुक्त (कार्मिक और सतर्कता) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग —अध्यक्ष (ii) उप/सहायक आयुक्त, सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (प्रशासन/स्थापना) —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(13)

(iii) संभार तंत्र (लाजिस्टिक्स) निदेशालय से सहायक निदेशक (समुद्री) —सदस्य

टिप्पण :–जहां उपरोक्त सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक समूह 'क' अधिकारी, भी विभागीय प्रोन्नति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. अकुशल ओद्यौगिक कर्मकार	15*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच आयु केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण :** आयु -सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए ।

(8)	(9)	(10)
(अ) **आवश्यक :** (i) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य । (ii) कठिन शारीरिक श्रम के लिए उपयुक्त होना चाहिए । (ब) **वांछनीय :** (i) मैकेनिक/डीजल मैकेनिक/फिटर/खरादी/ वैल्डर/ बिजली मिस्त्री/यांत्रीय/बढ़ई गिरी व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) प्रमाण-पत्र । (ii) ऑटो मोबाइल/औद्योगिक कर्मशाला में मेट या सहायक के रूप में अनुभव ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(13)	(14)
पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति की संरचना :— (i) अपर आयुक्त/उप-आयुक्त (कार्मिक और सर्तकता) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग —अध्यक्ष (ii) उप/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (प्रशासन/स्थापना) —सदस्य (iii) संभार तंत्र (लाजिस्टिक्स) निदेशालय से सहायक निदेशक (समुद्री) —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(13)

टिप्पण :—जहां उपरोक्त सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक समूह 'क' अधिकारी, भी विभागीय प्रोन्नति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

[फा. सं. ए-12018/13/2010-प्रशा. 3 बी]

बी. के. महान्त, अंवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2011

G.S.R. 309(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Marine Organisation of the Customs and Central Excise Department Group 'C' and 'D' posts Recruitment Rules, 1994, in so far as they relate to the posts of Seaman, Greaser and Unskilled Industrial Worker, the President hereby makes the following rules for the posts of Seaman, Greaser and Unskilled Industrial Worker in Marine Organisation of the Customs and Central Excise Department, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Seaman, Greaser and Unskilled Industrial Worker in the Marine Organisation of the Customs and Central Excise Department Group 'C' posts Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limits, other qualification, etc.—The method of recruitment, age limits, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of the rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band/ Grade Pay/ Pay Scales	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Seaman	284* (2011) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-1, (Rs. 5200–20200) + Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years of age relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

1265 GG/11–2

(7)
Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
(a) Essential : (i) X class pass or equivalent. (ii) Three years experience in sea going mechanised vessel with two years in helmsman and seamanship work. **(b) Desirable :** Certificate of competency as "Mate of fishing vessel" issued by Marine Mercantile Department.	Not applicable	Two years

(11)	(12)
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfers, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Composition of Departmental Promotion Committee for confirmation :— (i) Additional Commissioner/Deputy Commissioner (Personnel and Vigilance) Customs and Central Excise Department —Chairman; (ii) Deputy/Assistant Comissioner of Customs and Central Excise (Administration/Establishment) —Member; (iii) Assistant Director (Marine) from Directorate of Logistics —Member. **Note :**—Where none of the member above belongs to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, a Group 'A' officer from outside the Department belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category shall also be associated as a Member of Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Greaser	160*(2011) *(Subject to variation	General Central Service, Group 'C' Non-	Pay Band-1, (Rs. 5200-20200)	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years of age relaxable in accordance with the

(2)	(3)	(4)	(7)
dependent on workload.	Gazetted, Non-Ministerial	Grade Pay Rs. 1800	instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(8)	(9)	(10)
(a) **Essential :** (i) Xth class pass or equivalent. (ii) Three years experience in sea going mechanised vessel on main and auxiliary machinery mainteinance. (b) **Desireable :** Certificate of competency as "Engine Driver of fishing vessel issued by Marine Mercantile Department.".	Not applicable	Two years

(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

(13)	(14)
Composition of Departmental Promotion Committee for confirmation :— (i) Additional Commissioner/Deputy Commissioner (Personnel and Vigilance) Customs and Central Excise Department —Chairman (ii) Deputy/Assistant Comissioner of Customs and Central Excise (Administration/Establishment) —Member (iii) Assistant Director (Marine) from Directorate of Logistics —Member Note :—Where none of the member above belongs to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, a Group 'A' officer from outside the Department belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category shall also be associated as a Member of Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Unskilled Industrial Worker	15*(2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, (Rs. 5200-20200) Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years of age relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

(7)
Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.

(8)	(9)	(10)
(a) Essential : (i) Xth class pass or equivalent. (ii) Should be fit for strenuous physical labour. **(b) Desireable :** (i) ITI certificate in Mechanic/Diesel Mechanic/ Fitter/Turner/Welder/Electrician/Instrumental/ Carpentary trade. (ii) Experience as mate or assistant or helper in Automobile/Industrial Workshop.	Not applicable	Two years

(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

(13)	(14)
Composition of Departmental Promotion Committee for confirmation :— (i) Additional Commissioner/Deputy Commissioner (Personnel and Vigilance) Customs and Central Excise Department —Chairman (ii) Deputy/Assistant Comissioner of Customs and Central Excise (Administration/Establishment) —Member (iii) Assistant Director (Marine) from Directorate of Logistics —Member Note :—Where none of the member above belongs to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, a Group 'A' officer from outside the Department belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category shall also be associated as a Member of Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

[F. No. A-12018/13/2010-Ad. III B]

B. K. MAHANTA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.